"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च 2023 — चैत्र 1, शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 (चैत्र 1, 1945)

क्रमांक – 3780/वि.स./विधान/2023. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) जो बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023

विषय सूची

खण्ड	विवरण
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2.	परिभाषायें.
3.	भूमि का व्यवस्थापन.
4.	निवास गृहों का हटाया जाना.
5.	कतिपय मामलों में प्रकिया.
6.	नियमितीकरण.
7.	नवीनीकरण.
8.	अंतरण पर निर्बंधन.
9.	फ्री–होल्ड अधिकार में परिवर्तन.
10.	अवैध कब्जे से वापसी.
11.	अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन.
12.	अवैध कब्जे का प्रभाव.
13.	नियम बनाने की शक्ति.
14.	निरसन.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023

विद्यमान अधिनियम में परिमाषाओं में तथा अतिक्रमण को हटाने एवं व्यवस्थापन, भूमि स्वामी अधिकार और फ्री–होल्ड अधिकार, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधानों में कतिपय विसंगतियों को दूर करते हुए तथा भू–राजस्व संहिता के अनुक्रम में सामंजस्य लाते हुए, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 अधिनियमित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

परिमाषायें.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है जिले का कोई उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) या कोई अन्य, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, जिसे कलेक्टर, आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्रों में, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का

प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करे.

(ख) "भूमिस्वामी अधिकार" का वही अर्थ होगा जैसा कि संहिता मे उसके लिए समनुदेशित है.

(ग) "संहिता" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ भू- राजस्व संहिता, 1959 (क 20 सन् 1959).

(घ) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो, जो आवासहीन हो, जो संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो, जिसके कुटुम्ब की वार्षिक आय रू. 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो, जिसके कुटुम्ब मे कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या इनके उपकम की शासकीय सेवा में, (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हो, और न ही अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा व्यवसायिक सेवा में हो, और न ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, तथा जिसे या जिसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में कोई शासकीय भूमि आवंटित नहीं की गयी हो,

(ङ.) "फ्री–होल्ड अधिकार" से अभिप्रेत है संहिता में यथा परिभाषित फ्री–होल्ड अधिकार;

(च) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत माता, पिता, पति/पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं रक्त आधारित कोई नातेदार, जो आवासहीन व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित हो, शामिल होंगे;

(छ) "सरकारी पट्टेदार" से अभिप्रेत है संहिता में यथा परिभाषित सरकारी पट्टेदार;

(ञ) "आवासहीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है नगरीय निकाय मे निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके स्वय के या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व मे मकान उस नगरीय निकाय मे नही हो,

(झ) "पट्टाधृति अधिकार" से अभिप्रेत है संहिता के अधीन सरकारी पट्टेदार के अधिकार,

(ञ) "निवास गृह" से अभिप्रेत है चारदीवारी एवं छतयुक्त संरचना, किन्तु इसके अन्तर्गत सरकार या किसी स्थानीय निकाय या कानूनी प्राधिकरण के स्वामित्व का कोई भवन सम्मिलित नहीं होगा,

(ट) "अधिभोग रखना" से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र की भूमि, जो राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण का हो, को निवास के प्रयोजनो के लिए अधिभोग मे रखा जाना,

(ठ) "अंतरण" से अभिप्रेत है संहिता में यथा परिभाषित अंतरण;

(ड) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है संहिता में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्र।

भूमि का व्यवस्थापन.

3. (1) प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के अध्यधीन रहते हुए, आवासहीन पात्र व्यक्ति के वास्तविक अधिभोग में की भूमि का व्यवस्थापन या उसे अधिभोग में की भूमि के बदले किसी अन्य भूमि पर व्यवस्थापन, जो विहित क्षेत्रफल से अधिक न हो, अधिभोगी के अविवाहित होने पर उस व्यक्ति के पक्ष में और विवाहित होने पर पति–पत्नी के संयुक्त पक्ष में, विहित अवधि के लिए, पट्टाधृति अधिकारों में, कर सकेगा।

(2) उप धारा (1) के अनुसार पट्टा विलेख एवं भूमि आबंटन रजिस्टर पर अधिभोगी का व्यक्तिगत या सयुक्त फोटोग्राफ चिपकाया जाएगा।

निवास गृहों का हटाया जाना

4. (1) किसी ऐसे आवासहीन पात्र व्यक्ति को, जिसके अधिभोग मे किसी सार्वजनिक पार्क की भूमि या सडक के किनारे की भूमि या सडक व बस्ती के बीच की भूमि है या लोकहित के कोई अन्य स्थान की भूमि है, को ऐसे स्थान से हटाया जा सकेगा तथा अन्यत्र पट्टाधृति अधिकार दिए जा सकेगे।

(2) निवास गृहो के प्रयोजन के लिए किसी बस्ती या मकान को, जहाँ धारा 3 के अधीन आवासहीन पात्र व्यक्तियो का व्यवस्थापन किया गया है, लोकहित में अन्यत्र स्थानातरण किया जा सकेगा, संबंधित व्यक्ति के पट्टाधृति अधिकारो को रद्द किया जा सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति का अन्यत्र व्यवस्थापन किया जा सकेगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, विहित प्रक्रिया के अनुसार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पहुँच या अन्य लोकहित में किसी बस्ती या मकान को हटाने तथा उसका अन्यत्र व्यवस्थापन करने का प्रस्ताव कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा एवं कलेक्टर इस पर यथोचित निर्णय ले सकेगा।

कतिपय मामलों में प्रक्रिया

5. कतिपय मामलों में, विकास योजना या अन्य किसी अधिनियमिति के उल्लंघन में, पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने के विषय पर निर्णय, नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार लिया जा सकेगा ।

6. (1) यदि प्राधिकृत अधिकारी यह पाता है कि पट्टाधृति अधिकार प्राप्त व्यक्ति के वास्तविक कब्जे की भूमि उसके पक्ष मे मूल रूप से की गई व्यवस्थापन (सेटलमेंट) से अधिक है, तो ऐसी आधिक्य भूमि का व्यवस्थापन, संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के तहत, अनुज्ञेय भू-उपयोग के अनुसार, उसके पक्ष में किया जा सकेगा या अन्यथा की स्थिति में अतिक्रमण मुक्त किया जा सकेगा। नियमितीकरण

(2) पट्टाधृति अधिकार में प्राप्त भूमि निवास प्रयोजन में धारित की जायेगी तथा इस हेतु विहित प्रावधानों के अनुसार, प्रयोजन का व्यपवर्तन किया जा सकेगा।

7. पट्टाधृति अधिकार की अवधि की समाप्ति पर, इसका नवीनीकरण, विहित अवधि के लिए, विहित शर्तों के तहत किया जा सकेगा। नवीनीकरण.

8. (1) इस अधिनियम के अधीन पट्टाधृति अधिकार में धारित भूमि का आंशिक या पूर्ण रूप से अंतरण, विरासत के सिवाए, वर्जित होगा। अंतरण पर निर्बंधन.

(2) उप-धारा (1) के उल्लंघन में अंतरण करने वाला व्यक्ति और उसका कुटुम्ब, स्वमेव, किसी भी अन्य भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता तदुपरांत खो देगा।

(3) उप-धारा (1) के उल्लंघन में अंतरण किये जाने पर, पट्टाधृति अधिकार, ऐसे अन्तरण की तारीख से स्वत: शून्य हो जाएगा।

(4) उप धारा (1) के उल्लंघन मे अंतरण किये जाने पर, अंतरिती को, यदि वह पात्र व्यक्ति नही हो ऐसी भूमि के संबंध मे कोई पट्टाधृति अधिकार प्राप्त नही होगे एव बेदखल किया जा सकेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी, दस्तावेजो को पंजीयन करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी कोई ऐसा दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण नहीं करेगा, जिससे उप–धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाना तात्पर्यित हो।

फ्री–होल्ड अधिकार में परिवर्तन.

9. पट्टाधृति अधिकार को, ऐसे अधिकार प्राप्ति के 10 वर्ष की अवधि के पश्चात्, फ्री–होल्ड अधिकार में परिवर्तन संहिता के प्रावधानों के तहत रियायती पट्टों के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा।

अवैध कब्जे से वापसी.

10. अवैध रूप से बेकब्जा किये गये पट्टाधृति अधिकार प्राप्त व्यक्ति को, सरकारी पट्टेदार के रूप में, संहिता के प्रावधानों के अनुसार कब्जा वापस दिलाया जा सकेगा।

अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन.

11. इस अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

अवैध कब्जे का प्रभाव.

12. यदि कोई भूमि, किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, जिसे इस अधिनियम के अधीन पट्टाधृति अधिकार दिए गए हैं, किन्तु जो किसी अन्य पात्र व्यक्ति के कब्जे मे निवास प्रयोजन में है,

तो उसे विहित नियमो के अधीन पट्टाधृति अधिकार पात्रतानुसार दिया जा सकेगा अथवा संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

13. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के समस्त या किन्ही प्रावधानो को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

निरसन.

14. (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तारीख से, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) एवं उक्त के अधीन बनाये गये नियम, जारी परिपत्र एवं आदेश एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उप–धारा (1) में निरसित प्रावधानों के अंतर्गत जारी पट्टाधृति अधिकार के पट्टे इस अधिनियम द्वारा प्रशासित होंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यत: विद्यमान अधिनियम मे परिभाषाओं में तथा अतिक्रमण को हटाने एवं व्यवस्थापन, भूमि स्वामी अधिकार और फ्री–होल्ड अधिकार, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधानों में कतिपय विसगतियों को दूर करने के लिए तथा भू–राजस्व संहिता के अनुक्रम में सामजस्य लाने के लिए, नवीन विधि अधिनियमित करना आवश्यक एवं समीचीन हो गया है ।

अतएव, उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 अधिनियमित करना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

जयसिंह अग्रवाल
राजस्व मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 20 मार्च, 2023

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 के खण्ड–13 के अधीन राज्य शासन को अधिनियम के प्रयोजनों को कियाशील करने के लिए नियम एवं विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है,जो सामान्य स्वरूप की है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.